

// शपथ-पत्र //

में श्री पुत्र श्री
 आयु निवासी वर्तमान में समिति
 का अध्यक्ष/सचिव शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ :-

(1) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) के द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, शनिवार दिनांक 4 अगस्त 2007 एवं मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में फीस के निर्धारण से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 एवं तत्पश्चात् जारी सभी संशोधनों को पूर्णतः एवं ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया गया है जो कि समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(2) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में फीस के निर्धारण से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 के पृष्ठ क्रमांक 404(3) कंडिका क्रमांक-23 के अनुसार “उस दशा में जहाँ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति आवेदन को न मंजूर कर सकेगी और हमारी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी”, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं समझ लिया गया है।

(3) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के फीस निर्धारण से संबंधित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

(4) समिति सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रों के तहत दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था द्वारा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में से समस्त समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय को भेज दी गई है।

(शपथ ग्रहीता)

सत्यापन

यह कि मैं श्री पुत्र श्री
 आयु शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी मेरे
 कथन के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

(शपथ ग्रहीता)

टीप - उपरोक्त शपथ-पत्र को रू. 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पत्र पर
 टंकित करवाकर नोटराईज कराकर प्रस्ताव के साथ भेजें ।